न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : गरिमा लाटा, आर.ए.एस.

वाद पत्र सं0 – 156 / 2014

सोहनलाल बनाम अर्जुनलाल आदि

दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु ।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थितः–

1. श्री रफीक मोहम्मद कुरैशी अधिवक्ता वादी ।
2. श्री सूरजभानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांकः . 5.03 .2020

–: आदेशः–

उक्त उनवानी वाद मे प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत ... 7 नियम 11 सीपीसी. मे प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा ... 438 रकबा 2.19 है. ग्राम मालियों की ढाणी तहसील सीकर मे अवसिथत है जिसके ... खसरा नं. 246 रकबा 8 बीघा 2 बिश्वा है उक्त भूमियों के बाबत माननीय ...लय हाजा में बउनवानी प्रकरण मूर्ति मंदिर नृसिंहजी बनाम चन्द्राराम आदि वाद ... 31 / 2006 के द्वारा दिनांक 11.9.2011 को डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि की ...दारी मूर्ति मंदिर के नाम से किये जाने के आदेश पारित हो चुके है इसलिए वादी ... दिनांक को न तो खातेदार है वादी बंटवारा कराने का अधिकारी नही है वाद विधि ... वर्जित होने से खारिज योग्य है। आवेदन पेश कर वाद विधि वर्जित होने से ...रिज करने का अनुरोध किया।

वादी द्वारा इसका जवाब पेश कर अंकित किया कि अंकित खसरा नं. 438 ... 2.19 है. के पुराना खसरा नं. 246 रकबा 8 बीघा 2 बिश्वा ग्राम मालियों की ...हर्ष मे अवस्थित होना सही है। न्यायालय के प्रकरण मूर्ति मंदिर नृसिंहजी बनाम ...राम आदि वाद सं. 31 / 2006 आदेश दिनांक 11.9.2011 को न्यायालय भू प्रबन्ध ...कारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर मे अपील उनवानी चन्द्रा आदि ... मूर्ति मंदिर आदि अपील सं. 242 / 2011 दिनांक 3.10.11 को सहायक कलेक्टर, ...र का निर्णय दिनांक 11.9.11 की कियान्विति को स्थगित किया जाकर विवादित ...जी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिए पाबंद किया जाता है, ... आदेश पारित किया गया व एक अन्य अपील सं. 246 / 2006 राजस्व अपील ...कारी सीकर द्वारा दिनांक 4.1.2007 को चन्द्राराम आदि बनाम माफी मंदिर मे निर्णय ... कियान्विति को स्थगित किया गया है एवं इसी प्रकार के निर्णय माननीय राजस्व ... राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत प्रकरण निग / टीए / 11134 / 08 सीकर मूर्ति मंदिर ... रणधीरसिंह व प्रकरण रेफरेंस एलआर / 8040 / 08 सीकर राजस्थान सरकार बनाम ...राम आदि का निर्णय दिनांक 7.4.2010 मे निगरानी खारिज की गई व राजस्व ... अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 3.11.08 यथावत रखा गया। रेफरेंस प्रार्थना ... खारिज किया गया। उक्त आदेशों के पश्चात माननीय न्यायालय का आदेश ... वादी आज भी खातेदार है वादी बंटवारा कराने का

बहस उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई । दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण ने अपना अपना पक्षकथन दोहराया । बहस पर मनन किया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत मामले मे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी.मे प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन पेश कर वादी का वाद विधि वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का अनुरोध किया है। जबकि वादी द्वारा पूर्व मे निर्णित विभिन्न निर्णयों का हवाला देकर वाद चलने योग्य होना कथन किया है। वाद पत्रावली अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी का वाद खसरा नं. 438 रकबा 2.19 है. ग्राम मालियों की ढाणी का बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। खसरा नं. 438 के पुराने खसरा नंबर 246 रकबा 8 बीघा 2 बिश्वा है जिसे वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. मे स्वीकार किया है। दावा सं. 31/2006 की प्रमाणित नकल पेश की गई है जिसकी डिक्री दिनांक 11.9.11 व निर्णय का अवलोकन किया । जिसमें खसरा नं. 246 रकबा 8 बीघा 2 बिश्वा को मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये है। वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. आवेदन मे प्रत्युत्तर दिया गया कि 11.9.11 के निर्णय की क्रियान्विति पर 3.10. 11 को अपील सं. 242/2011 माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा स्थगन दिया जाकर विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के लिए पाबंद किया गया है। इस प्रकार से उक्त आराजी बाबत अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर मे विचाराधीन है। अतः विचाराधीन रहते हुए उसी आराजी खसरा नं. हेतु नया वाद इस न्यायालय मे पेश किया गया है । उक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अंतिम निर्णय होने के पश्चात ही इस न्यायालय मे बंटवारे का दावा लाया जा सकता है। वादी के वादपत्र का भलीभांति अवलोकन किया गया। वादपत्र मे इस न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु.) सीकर के दावा सं. 31/2006 के बाबत कोई तथ्य नहीं लिया गया है। वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र मे यह कथन किया है कि अपीलीय न्यायालय के आदेशों के पश्चात माननीय न्यायालय का आदेश प्रभावहीन हो चुका है। साथ ही वादी ने अपने जवाब मे अन्य उच्चतर न्यायालयों मे भी पूर्व वाद के निर्णयों का जिक्र किया है लेकिन इसके समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है। जबकि अपीलीय न्यायालय की प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 3.10.2011 मुकदमा 223. चन्द्राराम बनाम मूर्ति मंदिर में " **न्यायहित मे आगामी तारीख पेशी सहायक कलेक्टर,सीकर के निर्णय दिनांक 11.9.11 की क्रियान्विति स्थगित किया जाकर विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के लिए पाबन्द किया जाता है। तहत की पत्रावली तलब कर दिनांक 1.11. 11 को पेश हो**"। टिप्पणी है। जो स्पष्ट है कि केवल क्रियान्विति स्थगित की गयी है, 11.9.11 के निर्णय व डिक्री को निरस्त नही किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी खातेदार काश्तकार नही रहा है। लिहाजा प्रकरण मे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. के प्रावधान लागू होते है तथा वादी का वाद विधि वर्जित होना प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) सीकर के वाद सं. 31/06 मे पारित निर्णय दिनांक 11.9.11 के आदेश के प्रभाव मे रहते हुए वादी खातेदार नही होने से बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा नहीं ला सकता है। वाद विधि द्वारा वर्जित है । अतः आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है । वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।